न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/454

1. शंकर
2. श्रवण पिसरान श्री माधो जी जाति कीर निवासीगण ग्राम दोडून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामदेव आत्मज हीरालाल जाति कीर निवासी मोरी का झौंपडा ग्राम डाटून्दा तहसील हिण्डोली ।
2. बाबूलाल
3. कालूलाल
4. छोटा
5. महावीर
6. लाला
7. बरधीलाल पिसरान भूरा जी जाति कीर निवासीगण मोरी का झौंपडा ग्राम डाटून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. श्रीमती कैलाशी बाई पुत्री भूरा जी पत्नी कैलाश जी जाति कीर निवासी पावर हाउस के पीछे हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. मनभर पुत्र देवा जाति कीर निवासी मौरी का झौंपडा ग्राम डाटून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
11. श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
12. मोती आत्मज माधो जाति कीर निवासी ग्राम दोडून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 91 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 92 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 93 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 94 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 95 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 96 रकबा 13 बिस्वा कुल 07 किता की रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी क्रम 12 का 1/3 हिस्सा दर्ज है । वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी रामदेव के पिता हीरा का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 8 के पिता भूरा व प्रतिवादी संख्या 9 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा दर्ज था । रामदेव ने अपनी हिस्से की भूमि वर्ष 1995 में बेचान कर दी तब से रामदेव के हिस्से की भूमि पर वादीगण शांतिपूर्वक निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रतिवादी क्रम 2 से 8 के पिता भूरा व प्रतिवादी संख्या 9 मनभर लाल ने वादग्रस्त आराजी में निहित अपने 1/2 हिस्से को वर्ष 1983 में ही बेचान कर दिया तब से ही वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण क्रम 1 से 11 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में निहित प्रतिवादीगण क्रम 1 से 9 के हिस्से की भूमि का वादीगण को संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी क्रम 1 से 9 के नाम को विलोपित किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलन्दाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण क्रम 1 से 9 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.07.2015 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त पत्रावली तलबी व जवाबदावा हेतु नियत थी । प्रतिवादीगण की ओर से अभी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादीगण से जवाबदावा लेकर तनकीयात कायम कर शहादत फरीकेन लेकर सीपीसी के प्रावधानों की पालना कर निर्णय पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक दावा बाबत् हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 रामदेव ने अपना हिस्सा दिनांक 30.05.1995 को 20 हजार रूपये में बेचान कर कब्जा वादीगण अपीलान्ट को संभला दिया था और तहरीर बेचान अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित की थी । जुलाई 1983 में सहखातेदार रेस्पोडेन्ट क्रम 9 ने भी अपना हिस्सा 1/3 20 हजार रूपये में बेचान कर कब्जा संभला दिया था और तहरीर का निष्पादन किया था । पत्रावली तलबी एवं जवाबदावे में लम्बित थी । जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया था और अधीनस्थ न्यायालय ने इस लोक अदालत में रखा गया और पक्षकारों की सहमति के बिना निर्णय पारित कर दावा वादी खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत है । लोक अदालत में पारित निर्णय की अपील नहीं की जा सकती । अपीलान्ट के द्वारा तहरीर के आधार पर हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है जो राजस्व न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था और इसमें यह कथन किया है कि प्रतिवादी क्रम 1 रामदेव ने अपने 1/3 हिस्से की आराजी 20 हजार रूपये में बेचान कर तहरीर निष्पादित की गई और कब्जा संभलाया है । प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 8 के पिता भूरा एंव मनभर लाल ने वादग्रसत आराजी में निहित हिस्से को अपीलान्टगण को बेचान कर तहरीर निष्पादित की है और कब्जा संभलाया है । अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में दावा जवाब एंव शेष पक्षकारान की तलबी में लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया व दावा खारिज किया गया । वादीगण ने इकरारनामा बेचान के आधार पर हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है । पत्रावली पर दो इकरारनामों की फोटो प्रतियॉ संलग्न हैं । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत 100/– रूपये से अधिक हो उसका विक्रय पंजीकृत विक्रयनामे के आधार पर ही हो सकता है न कि विक्रय के इरारनामे के आधार पर । विक्रय के इरारनामे के आधार पर हक घोषणा का दावा राजस्व न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । अपीलान्ट वादीगण को सिविल न्यायला में स्फेसिफिक परफोरमेन्स का दावा करना चाहिए था । राजस्व न्यायालय विक्रय के इकरारनामे के आधार पर हक घोषणा का दावा डिक्री करने के लिए सक्षम नहीं है ।

11. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादी अपीलान्टगण का दावा खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/454

1. शंकर
2. श्रवण पिसरान श्री माधो जी जाति कीर निवासीगण ग्राम दोडून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रामदेव आत्मज हीरालाल जाति कीर निवासी मोरी का झौंपडा ग्राम डाटून्दा तहसील हिण्डोली ।
2. बाबूलाल
3. कालूलाल
4. छोटा
5. महावीर
6. लाला
7. बरधीलाल पिसरान भूरा जी जाति कीर निवासीगण मोरी का झौंपडा ग्राम डाटून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. श्रीमती कैलाशी बाई पुत्री भूरा जी पत्नी कैलाश जी जाति कीर निवासी पावर हाउस के पीछे हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. मनभर पुत्र देवा जाति कीर निवासी मौरी का झौंपडा ग्राम डाटून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
11. श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
12. मोती आत्मज माधो जाति कीर निवासी ग्राम दोडून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 109/दावा/2013

1. शंकर
2. श्रवण पिसरान श्री माधो जी जाति कीर निवासीगण ग्राम दोडून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. रामदेव आत्मज हीरालाल जाति कीर निवासी मोरी का झौंपडा ग्राम डाटून्दा तहसील हिण्डोली ।
2. बाबूलाल
3. कालूलाल
4. छोटा
5. महावीर
6. लाला
7. बरधीलाल पिसरान भूरा जी जाति कीर निवासीगण मोरी का झौंपडा ग्राम डाटून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. श्रीमती कैलाशी बाई पुत्री भूरा जी पत्नी कैलाश जी जाति कीर निवासी पावर हाउस के पीछे हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. मनभर पुत्र देवा जाति कीर निवासी मौरी का झौंपडा ग्राम डाटून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
11. श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
12. मोती आत्मज माधो जाति कीर निवासी ग्राम दोडून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 30.01.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री प्रेमशंकर गुर्जर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 30.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

30/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा